कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।
संशोधित प्रेस विज्ञप्ति
राजस्व उपनिरीक्षक (लेखपाल) प्रशिक्षणार्थी भर्ती परीक्षा–2015

पत्रांक संख्या–....739/ सात–भूलेख / रा0उ0नि0(मै0)चयन परिक्षा–2015 दिनांक– 29 अक्टूबर, 2015

इस कार्यालय द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक(लेखपाल) प्रशिक्षणार्थी चयन परीक्षा 2015 हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या पत्रांक–723 / सात–भूलेख / रा0उ0नि0(मै0)चयन परिक्षा–2015, दिनांक–09 अक्टूबर, 2015 जो दिनांक 11 व 12.10.2015 के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है में निम्न संशोधन किया जाता है।

1. विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या–4 शैक्षिक अर्हता के अर्न्तगत अधिमानी अर्हता का बिन्दू–**(ग) कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित प्रमाण प्राप्त किया हों** को समाप्त किया जाता है।

2. विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या–10 शारीरिक दक्षता का निम्न अंश समाप्त किया जाता है.... **"लिखित परीक्षा के उपरान्त मेरिट पर आये अभ्यर्थियों का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित टंकण परीक्षा ली जायेगी जिसमें 4000 की–डीप्रेशन प्रति घण्टा की टंकण गति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।"**

3. विज्ञप्ति में प्रकाशित विकलांग का एक पद केवल पी0डी0 श्रेणी अर्थात Partially deaf (आंशिक बधिर) अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगा जो कि क्षैतिज आरक्षण है, अन्य श्रेणी के विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु पात्र नहीं होगे। उपरोक्त एक पद पर विकलांग आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी संवर्ग का अर्थात अनु0जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग का हो सकता है।

अतः तदनुसार इच्छुक अभ्यर्थी जो उपरोक्त अर्हताएं नही रखते हो भी अपना आवेदन पत्र नियम तिथि तक प्रेषित कर सकते है। विज्ञप्ति की अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेगी।

(हरबंस सिंह चुघ)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित की राजस्व उपनिरीक्षक प्रशिक्षणार्थी चयन परीक्षा–2015 के विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचना पटट् पर कराने का कष्ट करें

1. मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार।
2. उपजिलाधिकारी / तहसीलदार, हरिद्वार, रूड़की, लक्सर, भगवानपुर।
3. जिला सेवायोजन अधिकारी हरिद्वार।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी हरिद्वार।
6. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट हरिद्वार।
7. सम्पादक दैनिक जागरण एवं शाह टाईम्स को इस आशय से प्रेषित की अपने समाचार पत्र के नवीनतम उत्तराखण्ड अंक के न्यूनतम स्थान एवं शासकीय दरों का विज्ञप्ति का प्रकाशन करने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।